[2014] 9 एस. सी. आर 391

बिहार राज्य और अन्य

बनाम

चंद्रेश्वर पाठक

(2014 की दीवानी अपील संख्या 7392)

07 अगस्त, 2014

[टी. एस. ठाकुर और आदर्श कुमार गोएल, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

नियुक्ति - पुलिस महानिदेशक के आदेश से बिना पद का विज्ञापन दिए आरक्षी की अस्थायी नियुक्ति की गई - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपास्त कर दिया - उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आरक्षी की अपील स्वीकार कर ली - अभिनिर्धारितः सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना अस्थायी पद पर भी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेशों का उल्लंघन है - वर्तमान मामले में, किसी भी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के अभाव में, उत्तरदाता की नियुक्ति सुरक्षित नहीं है और इसे वैध रूप से समाप्त किया जा सकता है - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज करना उचित था, जबकि खंडपीठ ने इसमें हस्तक्षेप करके गलती की - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 16:

उत्तरदाता को दांडिक अन्वेषण विभाग के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दिनांक 14.01.1988 के अपने आदेश द्वारा आरक्षी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, इस शर्त के साथ कि बिना कोई कारण बताए या कारण बताओ नोटिस दिए उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। वर्ष 2000 में, पटना उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में पुलिस विभाग में पिछले दरवाजे से की गई नियुक्तियों के मुद्दे पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप अनियमित नियुक्तियों की समीक्षा की गई। तदनुसार, उत्तरदाता को दिनांक

10.09.2003 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और चूंकि उसके उत्तर में कोई वैध कारण नहीं दिखाया गया था, इसलिए उसकी सेवाओं को समाप्त करने का दिनांक 26.09.2003 को आदेश पारित किया गया था। उत्तरदाता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था, लेकिन उसकी अपील को खंडपीठ ने अनुमति दे दी थी।

राज्य सरकार द्वारा दायर की गई वर्तमान अपील में, न्यायालय के विचारार्थ प्रश्न यह था कि क्या उत्तरदाता की बिना किसी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के की गई नियुक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 311 के तहत संरक्षित किसी सार्वजनिक पद पर वैध नियुक्ति माना जा सकता है।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1. सभी पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना किसी भी व्यक्ति को अस्थायी या तदर्थ आधार पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, और यदि ऐसा किया जाता है, तो ऐसा कदम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेशों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह उन उम्मीदवारों को, जो पद के लिए पात्र हैं, विचार किए जाने से वंचित करता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करके नियोजित व्यक्ति वेतन सहित किसी भी राहत का हकदार नहीं है। [कंडिका 14] [399-एच; 400-ए-सी]

उड़ीसा राज्य एवं एक अन्य बनाम ममता मोहंती 2011 (2) एससीआर 704 = (2011) 3 धारा 436 - पर अवलंबन किया गया।

1.2 वर्तमान मामले में, नियुक्ति केवल पुलिस महानिरीक्षक के अनुरोध पर दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि सभी योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा का अवसर देने के लिए कोई विज्ञापन जारी किया गया था या उत्तरदाता की नियुक्ति से पहले कोई चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके अलावा, इसी उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने इसी तरह के मामले में बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसके खिलाफ विशेष

अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। [कंडिका 13 और 15] [389-जी-एच; 399-ए; 400-डी-ई]

1.3 तदनुसार, यह माना जाना चाहिए कि किसी भी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के अभाव में, उत्तरदाता की नियुक्ति सुरक्षित नहीं है और उसे वैध रूप से समाप्त किया जा सकता है। एकल न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज करना उचित था, जबकि खंडपीठ ने उसमें हस्तक्षेप करके गलती की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है। [कंडिका 16-17] [400-ई-जी]

नजीर संदर्भ:

2011 (2) एससीआर 704 पर अवलंबन कंडिका 14

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 7392/2014।

पटना उच्च न्यायालय के एलपीए संख्या 945/2010 में दिनांक 05.01.2012 के निर्णय एवं आदेश, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 204/2004 में दिनांक 05.01.2012 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलकर्ताओं की ओर से गोपाल सिंह, मनीष कुमार।

उत्तरदाता की ओर से मनोज आर. सिन्हा, टी. महिपाल।

न्यायालय का निर्णय जिनके द्वारा सुनाया गया

आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील बिहार राज्य द्वारा पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ के एल.पी.ए. संख्या 945/2010 के दिनांक 05.01.2012 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो दांडिक अन्वेषण विभाग, पटना, बिहार द्वारा पारित दिनांक 26.09.2003 के आदेश को अभिखंडित करने के लिए प्रभावी है, जिसमें उत्तरदाता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

3. उत्तरदाता को पुलिस महानिरीक्षक, दांडिक अन्वेषण विभाग, पटना, बिहार द्वारा उनके दिनांक 14.01.1988 के आदेश के तहत आरक्षी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, इस शर्त के साथ कि उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए या कारण बताओ के समाप्त की जा सकती है। वर्ष 2000 में, पटना उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में पुलिस विभाग में पिछले दरवाजे से की गई नियुक्तियों के मुद्दे पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप गृह विभाग (पुलिस), बिहार सरकार द्वारा दिनांक 04.09.2000 को पुलिस मुख्यालय, बिहार को अनियमित नियुक्तियों की समीक्षा करने और ऐसे नियुक्त व्यक्तियों को सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया।

4. तदनुसार, उत्तरदाता-विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाकर्ता को दिनांक 10.09.2003 को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया कि उनकी नियुक्ति निरस्त क्यों न कर दी जाए और चूँकि उनके उत्तर में कोई वैध कारण नहीं दर्शाया गया था, इसलिए दिनांक 26.09.2003 को उत्तरदाता की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश पारित किया गया।

5. उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए, उत्तरदाता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई। दिनांक 09.04.201 के आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज कर दी:

> *"यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता ने लूट प्रणाली पर आधारित एक अवैध नियुक्ति से बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप का मामला बनाया है।*
>
> *सेवाओं में अवैध प्रवेश के अलावा, कथित नियमितीकरण उसके लिए कोई लाभ नहीं देता क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक एकल मामला है जिस पर अन्य मामलों के बिना विचार करके व्यक्तिगत लाभ पहुँचाया गया है।*

यह दलील कि उसने 16 वर्षों तक सेवा की है और इसलिए, उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए, इस न्यायालय को अपील नहीं करती।

याचिकाकर्ता को उसी तलवार से मरना चाहिए जिससे वह आया था।

याचिकाकर्ता द्वारा डब्ल्यूजे. सी. संख्या 5279/04 में इस न्यायालय के एक आदेश पर अवलंबन करना, जिसमें इसी तरह के बर्खास्तगी आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप किया गया था कि यह 15 वर्षों के बाद पारित किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के (2005) 4 एसएससी 209 (बिंद कुमार गुप्ता बनाम राम आश्रय महतो एवं अन्य) के फैसले द्वारा सबसे अच्छी तरह से उत्तर दिया गया है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 15 वर्षों की सेवा के बाद पारित बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। यह एक अवैध नियुक्ति का मामला है।"

हालांकि, अपील पर, खंडपीठ ने एक अन्य मामले में दिनांक 18.05.2005 के एक पूर्व आदेश के बाद विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को अनुमति दे दी, अर्थात, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 5279/2004 जो समान पद पर तैनात एक कर्मचारी द्वारा दायर किया गया था।

6. हमने बिहार राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह और उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज आर. सिन्हा को सुना है।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि खंडपीठ ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 5279/2004 के फैसले का गलती से पालन किया, जो अलग था क्योंकि उसमें कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था, जबकि वर्तमान मामले में उत्तरदाता को कारण बताओ नोटिस विधिवत जारी किया गया था। नियुक्ति के आदेश का हवाला देते हुए, यह दलील दिया गया कि वर्तमान मामला बिना किसी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के पिछले दरवाजे से नियुक्ति का मामला था। यह भी बताया गया कि इसी उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने हेमकांत झा आदि बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2003 का एलपी.ए. संख्या 625 आदि-आदि, 18.7.2007 को अभिनिर्धारित) मामले में इसी न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित

समान मामलों के एक समूह पर विचार किया था; और बिना किसी चयन के नियुक्त पुलिस आरक्षियों की सेवा समाप्ति को बरकरार रखा था। इसमें यह टिप्पणी की गई थी:

"6 आक्षेपित निर्णयों, प्रासंगिक तथ्यों और सुधीर कुमार के मामले में दिए गए निर्णय का अध्ययन करने पर, यह पाया गया कि इन मामलों में संबंधित कर्मचारियों को बिना किसी विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किए आरक्षी के पद पर नियुक्त किए जाने के प्रासंगिक तथ्यों को लेकर कोई सार्थक और गंभीर चुनौती नहीं है। राज्य सरकार का कोई भी सामान्य आदेश या विनियमन इस तर्क का समर्थन करने के लिए उपलब्ध नहीं है कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति के समान है जिसके लिए राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है और नियम निर्धारित किए हैं। वास्तव में, इन मामलों में कोई विवाद या मुद्दा नहीं है क्योंकि स्वीकार किए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि आरक्षी के पद पर अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पुलिस नियमावली में प्रासंगिक नियमों में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना करते हुए और सार्वजनिक रोजगार में समानता के संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करते हुए पिछले दरवाजे से की गई थी। राज्य ने सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (3), (2006) 4 एससीसी 1 में सूचित मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ सहित विभिन्न निर्णयों पर सही ढंग से भरोसा किया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि ऐसी नियुक्तियां नियुक्तियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं और संविधान के जनादेश या नियुक्ति के लिए प्रासंगिक नियमों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई नियुक्तियों के ऐसे मामलों में, न्यायालय अवशोषण, नियमितीकरण या पुनः नियुक्ति जैसे लाभ प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। यद्यपि उन सिद्धांतों पर उस मामले में आमेलन, नियमितीकरण के संदर्भ में विचार किया गया था, वे समान बल के साथ वहां भी लागू होंगे जहां ऐसी अवैध नियुक्ति समाप्त कर दी गई है और न्यायालय से ऐसे आदेश तथा बहाली के लिए

आदेश देने के संबंधित मुद्दे पर विचार करने का आह्वान किया गया है, अर्थात ऐसी अवैध नियुक्तियों को जारी रखने के लिए। उस संविधान पीठ के फैसले में कंडिका 33 और 39 में प्रासंगिक पहलुओं पर ज़ोर दिया गया है और कंडिका 54 में यह स्पष्ट किया गया है कि जो फैसले उस फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत हैं, या जिनमें दिए गए निर्देश उस फैसले के विपरीत हैं, वे मिसाल के तौर पर अपनी स्थिति से वंचित माने जाएँगे। यही कानूनी सिद्धांत अमरेंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य, 1999 (3) पीएलजेआर 984 के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले से भी निकलता है।

7. यह पाते हुए कि संबंधित अपीलकर्ता कर्मचारी पिछले दरवाजे से नियुक्त किए गए हैं, जैसा कि विद्वान न्यायाधीशों ने आक्षेपित आदेशों में कहा है और उन्हें उनके पदों पर कोई अधिकार नहीं है, अब हमें अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए इस तर्क पर विचार करना होगा कि आक्षेपित आदेशों को अपास्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बर्खास्तगी के आदेश विभिन्न पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि राज्य सरकार सहित उच्च अधिकारियों के निर्देशों के तहत जारी किए गए थे और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत कुछ याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं के संबंध में नहीं थे।

8. उपरोक्त तर्कों पर प्रत्येक मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में निर्णय लिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, संक्षेप में देखे गए तथ्य यह प्रकट करते हैं कि एक विशेष पुलिस महानिदेशक के कार्यकाल के दौरान बड़े पैमाने पर पिछले दरवाजे से नियुक्तियाँ की गई थीं। एक जाँच की गई और उसके बाद, उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस अधीक्षकों, जो आरक्षी के पद पर नियुक्तियाँ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, को निर्देश जारी किए गए कि जहाँ भी ऐसी पिछले दरवाजे से नियुक्तियाँ पाई जाएँ, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें और उनकी समाप्ति के लिए कार्रवाई करें। मुद्दा

यह है कि क्या राज्य सरकार और उनके उत्तराधिकारी पुलिस महानिदेशक ऐसी जाँच कर सकते थे और ऐसे निर्देश जारी कर सकते थे या नहीं। कानून के शासन और सार्वजनिक रोजगार को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक जनादेश के पालन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य और उसके अधिकारियों को ऐसे कदम उठाने के लिए बाध्य होना चाहिए और ऐसी कार्रवाई में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।

8. यह इंगित गया है कि उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध दायर एस.एल.पी.(सी) संख्या 1237-1240/2008 आदि और एस.एल.पी.(सी) संख्या 3334-3337/2008 को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः 04.02.2008 और 04.04.2008 को खारिज कर दिया गया था और इसी आधार पर संबंधित मामले में एस.एल.पी.(सी) संख्या 21543/2008 को भी इस न्यायालय द्वारा 04.09.2013 को खारिज कर दिया गया था।

9. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया और दलील दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदाता पहले ही 15 वर्ष की सेवा कर चुका है, उसकी सेवाओं को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

10. विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या बिना किसी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के की गई उत्तरदाता की नियुक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 311 के तहत संरक्षित सार्वजनिक पद पर वैध नियुक्ति माना जा सकता है?

11. उचित विचार करने पर, हमारा मत है कि निम्नलिखित कारणों से आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

12. वर्तमान मामले में नियुक्ति का आदेश इस प्रकार है:

"पुलिस महानिरीक्षक, दांडिक अन्वेषण विभाग, बिहार, पटना द्वारा उनके पत्रांक 6/86 एफ 3 द्वारा पारित आदेश के आलोक में, श्री चंदेश्वर पाठक, पुत्र श्री देवनारायण पाठक, ग्राम हराजी, डाकघर हराजी, थाना- डिम्बारा, जिला- छपरा को 14.01.1988 की दोपहर से अस्थायी रूप से आरक्षी के रूप में इस शर्त पर नियुक्त किया गया था

कि उनका पिछला चरित्र संतोषजनक पाया गया और जब भी आवश्यक हो, बिना कोई कारण बताए या कारण बताओ के उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। उनका वेतनमान 425-10565 रुपये ईबी-10-605 होगा जिसमें मूल वेतन 4251- रुपये होगा। उन्हें सीटी संख्या 390 आवंटित किया गया है।"

13. उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि नियुक्ति केवल पुलिस महानिरीक्षक के अनुरोध पर दी गई है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उत्तरदाता की नियुक्ति से पहले सभी पात्र उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा का अवसर देने के लिए कोई विज्ञापन जारी किया गया था या कोई चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी।

14. *उड़ीसा राज्य एवं एक अन्य बनाम ममता मोहंती (2011) 3 एससीसी 436* में, निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

"विज्ञापन रहित नियुक्ति/रोजगार:

35. एक समय इस न्यायालय का यह विचार था कि रोजगार कार्यालय से नाम पुकारने से सार्वजनिक रोजगार में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार की समस्या पर कुछ हद तक अंकुश लगेगा। लेकिन बाद में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुच्छेद 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ उपयुक्त पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आवेदन आमंत्रित करने के लिए उचित तरीके से एक नोटिस प्रकाशित किया जाना चाहिए और उसके जवाब में आवेदन करने वाले सभी लोगों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए। भले ही उम्मीदवारों के नाम रोजगार कार्यालय से मांगे गए हों, इसके अतिरिक्त नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वह व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापन देकर या रेडियो और टेलीविजन में घोषणा करके खुले बाजार से सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करे क्योंकि केवल रोजगार कार्यालय से नाम पुकारना संविधान के उक्त अनुच्छेद की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। (देखें: दिल्ली विकास बागवानी कर्मचारी संघ बनाम दिल्ली प्रशासन,

हरियाणा राज्य बनाम पियारा सिंह, उत्पाद शुल्क अधीक्षक बनाम के.बी.एन. विश्वेश्वर राव, अरुण तिवारी बनाम जिता मनसावी शिक्षक संघ, बिनोद कुमार गुप्ता बनाम राम आश्रय महोतो, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम सोमवीर सिंह, दूरसंचार जिला प्रबंधक बनाम केशब देब, बिहार राज्य बनाम उपेन्द्र नारायण सिंह और मध्य प्रदेश राज्य बनाम मो. इब्राहीम).

36. इसलिए, यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना किसी भी व्यक्ति को अस्थायी या तदर्थ आधार पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई नियुक्ति केवल रोजगार कार्यालय से नाम आमंत्रित करके या नोटिस बोर्ड पर नोट लगाकर की जाती है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। ऐसा पाठ्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आदेशों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को विचार से वंचित करता है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करके नियोजित व्यक्ति वेतन सहित किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है। एक वैध और कानूनी नियुक्ति के लिए उक्त संवैधानिक आवश्यकता का अनिवार्य अनुपालन आवश्यक है। अनुच्छेद 16 में निहित समानता खंड के अनुसार, ऐसी प्रत्येक नियुक्ति एक खुले विज्ञापन द्वारा की जानी चाहिए ताकि सभी पात्र व्यक्ति योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

15. उत्तरदाता की ओर से इस न्यायालय का कोई विपरीत मत प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी उच्च न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने पहले उल्लेखित समान मामले में सेवा समाप्ति को बरकरार रखा है, जिसके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

16. तदनुसार, यह माना जाना चाहिए कि किसी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के अभाव में, उत्तरदाता की नियुक्ति सुरक्षित नहीं है और उसे वैध रूप से समाप्त किया जा सकता है।

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका खारिज करना उचित था, जबकि खंडपीठ ने इसमें हस्तक्षेप करके गलती की।

17. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा एल.पी.ए. संख्या 945/2010 में पारित दिनांक 05.01.2012 के आदेश को अपास्त करते हैं और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 204/2004 में पारित दिनांक 09.04.2010 के आदेश को बहाल करते हैं।

18. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

राजेंद्र प्रसाद अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।